वार्षिक रिपोर्ट

1979-80

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

योजना आयोग

नई दिल्ली

प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, रिंग रोड नई दिल्ली-110064 द्वारा मुद्रित
1980

विषय-सूची

	पृष्ठ
1. प्रस्तावना	1
2. 1978—83 की पंचवर्षीय योजना के परिशोधित प्रारूप का निर्माण	2
3. 1980—85 की नई पंचवर्षीय योजना	3
4. 1980-81 की वार्षिक योजना	4—5
5. उच्चस्तरीय समितियां	6—7
6. कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन	8–10
7. प्रभागों के कार्यकलाप	11—28
(1) भावी योजना प्रभाग	11
(2) आर्थिक प्रभाग	12
(3) परियोजना मूल्यांकन प्रभाग	13
(4) प्रबोधन प्रभाग	14
(5) कृषि और ग्रामीण विकास	15
(6) विद्युत् और ऊर्जा	16
(7) उद्योग और खनिज	17
(8) ग्राम और लघु उद्योग	17
(9) परिवहन और संचार	17—18
(10) शिक्षा	18—19
(11) वैज्ञानिक अनुसंधान	19
(12) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	20
(13) आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति	20
(14) पिछड़े वर्गों का कल्याण	21
(15) रोजगार और जनशक्ति	21
(16) सांख्यिकी और सर्वेक्षण	21—22
(17) सूचना और प्रचार	22—23
(18) अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास	23
(19) सामाजिक-आर्थिक अनुसंधान	23—24
(20) जिला और खंड स्तर योजना	24

पृष्ठ

(21) उत्तर-पूर्व क्षेत्र 24

(22) पहाड़ी क्षेत्र 25

(23) पश्चिमी घाट 25

(24) योजना तंत्र 25

(25) प्रशिक्षण कार्यक्रम 25

(26) हिन्दी का प्रयोग . . . . . 25—26

(27) विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों/शिष्टमंडलों की संख्या . 26

(28) पुस्तकालय 26

1

प्रस्तावना

केन्द्रीय मंत्रिमंडल में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप योजना आयोग के गठन में 10 अगस्त, 1979 से परिवर्तन हुआ और तब आयोग की सदस्यता इस प्रकार रही:—

श्री चरण सिंह, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
प्रो० डी० टी० लाकडावाला	उपाध्यक्ष
श्री वाई० बी० चव्हाण, उप प्रधान मंत्री और गृह मंत्री	सदस्य
श्री एच० एन० बहुगुणा, वित्त मंत्री	सदस्य
श्री वी० जी० राजाध्यक्ष	सदस्य
प्रो० राज कृष्ण	सदस्य
डा० जे० डी० सेठी	सदस्य
श्री जी० वी० के० राव	सदस्य

प्रो० राजकृष्ण ने 17 अगस्त, 1979 को सदस्य का कार्यभार छोड़ा ।

जनवरी, 1980 में सरकार में परिवर्तन के बाद, उपाध्यक्ष और पूर्णकालिक सदस्यों ने 15 फरवरी, 1980 को अपने पद का कार्यभार छोड़ा तथा आयोग को अप्रैल, 1980 में प्रधान मंत्री जी की अध्यक्षता में पुनर्गठित किया गया और डा० एम० एस० स्वामीनाथन कार्यकारी उपाध्यक्ष हुए । बाद में, जून, 1980 में श्री नारायण दत्त तिवारी योजना मंत्री और उपाध्यक्ष नियुक्त हुए । आयोग का गठन इस प्रकार है :—

श्रीमती इन्दिरा गांधी, प्रधान मंत्री	अध्यक्ष
श्री नारायण दत्त तिवारी, योजना मंत्री	उपाध्यक्ष
डा० एम० एस० स्वामीनाथन	सदस्य
श्री आर० वेंकटरामन, वित्त मंत्री	सदस्य
श्री मोहम्मद फजल	सदस्य
डा० मनमोहन सिंह	सदस्य—सचिव

श्री एस० एस० पुरी ने 1-8-1979 से 7-4-1980 तक योजना आयोग के सचिव के रूप में कार्य किया । सलाहकार (राज्य योजना) के जो पद खाली पड़े हुए थे उन्हें भरा गया और मई, 1979 में पांच अधिकारियों ने कार्य संभाला ।

2

1978---83 की पंचवर्षीय योजना के परिशोधित प्रारूप का निर्माण

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने योजना के प्रारूप के उद्देश्यों का अनुमोदन करते हुए और इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए योजना के प्रारूप में दिए गए प्रस्तावों का सामान्य रूप से स्वागत करते हुए, 18-19 मार्च, 1978 को हुई अपनी बैठक में योजना आयोग से राज्य सरकारों के साथ योजना के प्रारूप के ब्यौरे, विशेष रूप से राज्य योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श करने के लिए कहा था । योजना की वित्त-व्यवस्था करने के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तीय प्रबंधों पर विचार करने, अन्य बातों के साथ-साथ गाडगिल फार्मूले और केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के विषय-क्षेत्र की समीक्षा करने के लिए परिषद् की एक समिति बनाई गई। इस समिति के विचार-विमर्श पर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय विकास परिषद् की 24-25 फरवरी, 1979 को हुई बैठक में किया गया। राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्देशों के अनुसरण में और सहमत वित्तीय प्रबन्धों की व्यवस्था के भीतर, राज्यों के साथ राज्य योजनाओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया। इस विचार-विमर्श में राज्य योजनाओं के कुल आकार तथा क्षेत्रकीय लक्ष्य और परिव्ययों के वितरण के बारे में विचार किया गया । योजना आयोग द्वारा अनुमोदित इस विषय में संबद्ध परिव्यय के आंकड़े राज्यों को सूचित किए गए थे । राष्ट्रीय विकास परिषद् के निर्णय के अनुसार केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों की भी समीक्षा की गई और उनके परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया ।

1978-79 की कीमतों के आधार पर प्राप्त हुई और अधिक सूचना को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय योजनागत परियोजनाओं की आवश्यकताओं का फिर से अनुमान लगाया गया । केन्द्रीय और राज्य सरकारों की कर प्राप्तियों और योजनेतर व्यय, सरकारी उद्यमों के अधिशेषों, निजी बचतों और भुगतान शेष की प्रवृत्तियों को भी ध्यान में रखा गया। योजना आयोग ने अपनी 4 जुलाई, 1979 की बैठक में यह निर्णय किया कि छठी योजना के लिए सरकारी क्षेत्रक के परिव्यय का कुल आकार 71,000 करोड़ रु० नियत किया जाए । इसके अनुसार छठी योजना का परिशोधित प्रारूप तैयार किया गया । परंतु इस परिशोधित प्रारूप को केन्द्रीय सरकार और राष्ट्रीय विकास परिषद् के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका । तथापि, उसे दिसम्बर, 1979 में आम जानकारी और चर्चा के लिए तथा 1980-81 की वार्षिक योजना को तैयार करने में सहायता करने के लिए जारी किया गया ।

3

1980—85 की नई पंचवर्षीय योजना

जनवरी, 1980 में केन्द्रीय सरकार के परिवर्तन के परिणामस्वरूप, नई सरकार ने नई छठी पंचवर्षीय योजना तैयार करने का निर्णय किया जिसमें सरकार की प्राथमिकताएं निहित हों; 1980-81 की वार्षिक योजना को भी 1980—85 की पंचवर्षीय योजना में समाविष्ट करने का भी निर्णय किया गया । वार्षिक वृद्धि दर को 5 प्रतिशत तक बढ़ाने तथा संसाधनों और अन्य बाध्यकारिताओं के अनुकूल होने पर 5.5 प्रतिशत की उच्च दर प्राप्त करने के उद्देश्य से 1980—85 की नई पंचवर्षीय योजना तैयार की जा रही है। इस योजना को तैयार करने का काम दिसंबर, 1980 के अंत तक पूरा हो जाने की आशा है ।

1980-81 की वार्षिक योजना

1980-81 की वार्षिक योजना को तैयार करने का काम केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को पत्र जारी करने के साथ अक्तूबर, 1979 में शुरू हुआ जिसमें उनसे 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया। मंत्रालयों से छठी पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की प्राथमिकताओं और स्वरूप के सामान्य रूप से अनुरूप ये तैयार करने का अनुरोध किया गया । केन्द्रीय मंत्रालयों को यह बताया गया कि वार्षिक योजना तैयार करते समय 1980-81 में योजनागत स्कीमों के लिए बजट संसोधन सामान्य रूप से वर्ष 1979-80 के समान ही होंगे और इसके अनुसार मंत्रालयों के योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं । तथापि जहां 1979-80 में किसी स्कीम पर वास्तविक व्यय 1979-80 के लिए योजनागत धनराशि की व्यवस्था से कम हो वहां वर्ष 1980-81 के लिए प्रस्ताव करते समय प्रत्याशित व्यय को ध्यान में रखा जा सकता है । जहां इस प्रकार निर्धारित किए गए कुल परिव्यय के भीतर किसी उच्च प्राथमिकतावाली स्कीम के लिए पर्याप्त रूप से धनराशि की व्यवस्था नहीं की जा सकती हो वहां ऐसी स्कीमों को उनके लिए आवश्यक अतिरिक्त धनराशि की व्यवस्था के साथ अलग से बताया जाएगा। केन्द्र के संसाधनों की समीक्षा से उनमें सुधार का संकेत मिलने पर ऐसी सभी स्कीमों पर बाद में विचार किया जा सकता है। मंत्रालयों के साथ दिसंबर, 1979 और फरवरी, 1980 के बीच विचार-विमर्श किया गया ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को यह सूचित किया गया कि गाडगिल फार्मूले और आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूले आदि के अंतर्गत केन्द्रीय सहायता का कुल आकार 1980-81 में वही रहेगा जो 1979-80 में था । तथापि उन्हें यह स्पष्ट किया गया कि राज्यों के संसाधनों की अपर्याप्तता होने पर उन्हें उसके अनुसार अपनी वार्षिक योजना को कम करना होगा । वार्षिक योजना के संबंध में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ विभिन्न क्षेत्रकों के लिए बनाए गए कार्यकारी दलों के स्तर पर विचार-विमर्श दिसंबर, 1979 से फरवरी, 1980 के बीच किया गया । योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में अधिकारी स्तर की बैठकों में फरवरी-मार्च, 1980 के बीच परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया ।

केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों के साथ हुए विचार-विमर्श में किए गए निर्णयों के आधार पर वार्षिक योजना के लिए परिव्ययों को अंतिम रूप दिया गया और उन्हें मार्च, 1980 में वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए अंतरिम बजट में समाविष्ट किया गया । बाद में योजना आयोग के पुनर्गठित हो जाने पर 1980-81 के लिए केन्द्रीय

योजना समाज के परिव्ययों की समीक्षा की गई तथा अर्थ-व्यवस्था के महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्रकों में और कमजोर वर्गों के लिए रखे गए कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त परिव्ययों के लिए व्यवस्था की गई । पहले सहमत हुए राज्य योजनाओं के परिव्ययों को बनाए रखा गया, यद्यपि संबंधित राज्य सरकारों के साथ किए गए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप कुछ मामलों में समायोजन किए गए ।

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमें

राष्ट्रीय विकास परिषद के निर्णयों के परिणामस्वरूप केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के लिए केन्द्र में बनाये रखे जानेवाले परिशोधित परिव्यय केन्द्रीय मंत्रालयों को सितंबर, 1979 में सूचित किए गए । मंत्रालयों से यह अनुरोध किया गया कि वे केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के वार्षिक योजना प्रस्ताव इस तरह से तैयार करें कि वे उन्हें बताए गए अनुमानों के अनुरूप हों ।

राज्यों को जुलाई, 1979 में उन स्कीमों का ब्यौरा भेजा गया जिन्हें केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के रूप में बनाए रखा जाना था । इन स्कीमों में से 19 स्कीमों को 100 प्रतिशत सहायता के रूप में केन्द्रीय प्रयोजित क्षेत्रक में रखा गया । अब 60 स्कीमों के लिए सहायता का स्वरूप 50:50 आधार पर है । राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे संबंधित राज्यों के लिए सुसंबद्ध स्कीमों के लिए आवश्यक परिव्यय के 50 प्रतिशत की व्यवस्था करें ।

सभी राज्यों को 1980-81 में अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना तैयार करनी थी । राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया कि वे हर विभाज्य स्कीमों के लिए ब्यौरेवार परिव्यय बताएं और साथ ही अनुसूचित जातियों के लाभग्राहियों को दी जानेवाली सहायता की व्यवस्था के लिए निर्धारित धनराशि भी बताएं ।

उच्च स्तरीय समितियां

(क) खंड स्तर योजना से संबंधित समिति :

प्रो० एम० एल० दांतवाला की अध्यक्षता में कार्यकारी दल द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर योजना आयोग ने विचार किया और आयोग ने दिसंबर, 1979 में राज्यों को खंड स्तर योजना के संबंध में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए ।

(ख) ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका से संबंधित समिति :

समिति की रिपोर्ट की जांच की गई और उसकी सिफारिशों के अनुसार यह निर्णय किया गया कि खंड स्तर योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास के कार्यक्रम में उपयुक्त स्वैच्छिक अभिकरणों की सहभागिता को प्रोत्साहन देने की नीति को सक्रिय रूप से जारी रखा जाए । यह खंड स्तर आयोजन और कार्यान्वयन में लोगों के अधिकाधिक सहयोग और सहभागिता को प्राप्त करने के लिए है । तथापि इस प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों का चयन राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ।

(ग) ऊर्जा नीति से संबंधित अंतर-मंत्रालयीन दल :

दिसंबर, 1977 में योजना आयोग द्वारा गठित ऊर्जा नीति से संबंधित अंतर-मंत्रालयीन दल ने नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । कार्यकारी दल ने पहले ऊर्जा की खपत में प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, देश के ऊर्जा संसाधनों की समीक्षा की है और ऊर्जा की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है । दल ने तेल से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और सीमित देशीय संसाधन संपन्नताओं को ध्यान में रखते हुए, पूर्ति की संभावनाओं के अनुरूप ऊर्जा की भावी आवश्यकताओं को लाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं । दल की रिपोर्ट की योजना आयोग में जांच की जा रही है ।

(घ) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति :

समिति ने 29 मार्च, 1980 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

(ङ) जनसंख्या नीति से संबंधित समिति :

अक्तूबर, 1978 में गठित जनसंख्या नीति से संबंधित समिति की अपनी अंतिम रिपोर्ट जल्दी ही प्रस्तुत करने की संभावना है ।

(च) पिछड़े क्षेत्रों से संबंधित समिति :

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राष्ट्रीय समिति ने पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए मापदंड तय करने के लिए कई बैठकें कीं । औद्योगिक विकास जनजातीय उपयोजना, ग्रामीण, विकास और संगठनात्मक संरचना की समस्याओं पर विचार करने के लिए अलग-अलग कार्यकारी दल बनाए गए हैं । समिति ने कुछ राज्य सरकारों और अनुसंधान संस्थाओं के सहयोग से छः राष्ट्रीय स्तर की संगोष्ठियां आयोजित करने के लिए प्रस्ताव किया है । इन संगोष्ठियों में पिछड़ेपन, अर्थात् जनजातीय विकास, पहाड़ी क्षेत्र विकास, रेगिस्तान और सूखा-प्रवृत क्षेत्र विकास की विशिष्ट समस्याओं, उत्तर-पूर्वी राज्यों की समस्याओं, ग्रामीण बहुत छोटे और कुटीर उद्योगों की समस्याओं तथा पिछड़े क्षेत्रों का औद्योगीकरण करने की समस्याओं पर विचार-विमर्श किया जाएगा ।

समिति ने सूचना प्राप्त करने के लिए राज्यों को विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पिछड़े क्षेत्रों के निर्धारण के लिए मापदंड, एकीकृत ग्रामीण विकास, संगठनात्मक संरचना, प्रशासनिक संरचनाओं और जनशक्ति संबंधी आवश्यकताओं तथा इन समस्याओं के प्रति उसके दृष्टिकोण के संबंध में प्रलेख तैयार किए गए हैं । ये राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों को पहले उनकी प्रतिक्रिया/विचार जानने के लिए भेजे गए हैं ।

समिति का कार्यकाल दिसंबर, 1980 तक बढ़ा दिया गया है ।

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन

कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन को योजना आयोग के समग्र संदर्शन में कार्यशील एक स्वतंत्र संगठन के रूप में अक्तूबर, 1952 में स्थापित किया गया । कार्यक्रम मूल्याकंन संगठन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का मूल्यांकन करता है और विकास कार्यक्रमों की प्रगति का मूल्यांकन करता है जिससे कि सामाजिक-आर्थिक जीवन पर उनके प्रभाव को मापा जा सके और साथ ही उन कार्यक्रमों के विभिन्न संघटकों के संबंध में सफलता या असफलता के कारणों का पता लगाया जा सके । वह इन अध्ययनों के आधार पर उन दिशाओं का संकेत भी करता है जिनमें भविष्य के लिए सुधार किए जाएं ।

शुरू में इस संगठन को सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मूल्यांकन का काम सौंपा गया था। तथापि बाद में इसके विषय-क्षेत्र का विस्तार करके इसमें कृषि, सहकारिता, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण रोजगार जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों तथा पंचायतों और सहकारी समितियों जैसी ग्रामीण संस्थाओं के कार्यकरण का भी समावेश किया गया । हाल ही में कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन के काम का विस्तार करके उसमें शहरी क्षेत्रक कार्यक्रमों को भी शामिल किया गया है। कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन ने विभिन्न राज्य मूल्यांकन संगठनों में काम कर रहे मूल्यांकन कार्मिकों के प्रशिक्षण के काम को हाथ में लेकर अपने कार्यकलापों का और विस्तार किया है ।

वर्ष 1979-80 में निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययन पूरे किए गए और प्रकाशित किए गए :–

1. पूरे किए गए अध्ययन :

(1) ग्रामीण उद्योग परियोजनाएं

(2) लघु कृषक, सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक परियोजनाएं

(3) ग्रामीण रोजगार के लिए पुरजोर स्कीम

(4) शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम

(5) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाओं की तैयारी की स्थिति

(6) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजनाएं—परियोजना वृत्त

(7) राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन

(8) कोसी नदी का तटबंध ।

2. निम्नलिखित अध्ययन विभिन्न चरणों में चल रहे हैं :

(क) 1979-80 से पहले शुरू किए गए अध्ययन :

(1) उपग्रह शिक्षण दूरदर्शन प्रयोग (साइट)

(2) तिलहन विकास कार्यक्रम

(3) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में रियायती वित्त-व्यवस्था और अन्य प्रोत्साहन

(4) एकीकृत बाल विकास सेवा परियोजना

(5) पुतीमारी नदियों पर तटबंध

(6) मिट्टी और जल प्रबंध से सम्बन्धित चुनी हुई मार्गदर्शी परियोजनाओं का मूल्यांकन

(7) ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम का अध्ययन

(8) महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी स्कीम का संयुक्त मूल्यांकन

(9) गरीबों के लिए ग्रामीण जल पूर्ति की उपलब्धता का अध्ययन

(ख) 1979-80 में शुरू किए गए अध्ययन :

(1) काम के लिए अनाज कार्यक्रम का त्वरित मूल्यांकन अध्ययन । अंतरिम रिपोर्ट प्रकाशित कर दी गई है ।

(2) मत्स्य ग्रहण बंदरगाह परियोजनाओं का मूल्यांकन

(3) अंत्योदय कार्यक्रम का संवर्ती मूल्यांकन ।

3. समितियां

नवम्बर, 1977 में हुए राज्य मूल्यांकन संगठनों के अध्ययनों के सम्मेलन के निर्णय के अनुसरण में योजना आयोग ने जून, 1978 में निम्नलिखित दो समितियां बनाईं :—

(1) मूल्यांकन के प्रशिक्षण के लिए समिति :
योजना आयोग के सचिव की अध्यक्षता में समिति ने अपने विचार-विमर्श पूरे किए और अपनी रिपोर्ट 10 अक्तूबर, 1979 को प्रस्तुत कर दी है।

(2) केन्द्रीय और राज्य मूल्यांकन संगठनों की समीक्षा और विस्तार के लिए समिति: समिति ने 21 अप्रैल, 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

4. अभिकलित्र सेवाएं

अभिकलित्र सेवा स्कंध योजना निर्माण और मूल्यांकन के लिए आवश्यक इलैक्ट्रानिक न्यास संसाधन और द्रुत गति अभिकलन करने के लिए उत्तरदायी है । प्रणाली विकास, गणितीय निदर्शन, इष्टतमीकरण अध्ययन और विभिन्न अर्थमितीय निदर्शों के अभिकलित्र कार्यान्वयन के अलावा निम्नलिखित मूल्यांकन अध्ययनों के लिए सर्वेक्षण न्यास का अभिकलित्र संसाधन इस वर्ष पूरा किया गया है।

(1) उपग्रह शिक्षण दूरदर्शन प्रयोग ।

(2) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े जिलों में रियायती वित्त-व्यवस्था ।

(3) महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी स्कीम ।

अभिकलित्र सेवा स्कंध की संगठनात्मक व्यवस्था विभिन्न समूहों में की गई है, जैसे प्रचालन, प्रणाली और प्रशिक्षण, बड़े परिमाण में न्यास तैयार करना, न्यास बैंक, मूल्यांकन अध्ययन, अर्थमितीय निदर्श और आंतरिक उपयोग सेवाएं । तकनीकी विशेषज्ञ समिति ने यह सिफारिश की है कि वर्तमान अभिकलित्र के स्मृति तंत्र को बढ़ाकर दस लाख संप्रतीक कर दिया जाए तथा इस तंत्र में 6 और अधिक अन्योन्यक्रिया अंतस्थों को जोड़ दिया जाए ।

अभिकलित्र सेवा प्रभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अंतर-न्यास 8/32 अभिकलित्र प्रणाली के लिए फोरट्रान के अभिकलित्र कार्यक्रमण के संबंध में आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों और साथ ही कोबोल के अभिकलित्र कार्यक्रमण के संबंध में एक और पाठ्यक्रम का आयोजन किया गया।

7

प्रभागों के कार्यकलाप

योजना आयोग के प्रभागों के कार्यकलापों की कुछ महत्वपूर्ण बातें नीचे दी गई हैं :—

1. भावी योजना प्रभाग :

यह प्रभाग पंचवर्षीय योजना के परिशोधित प्रारूप (1978-83) के नीति संबंधी अध्यायों को तैयार के करने में मुख्य रूप से लगा रहा, जैसे दीर्घकालिक भावी योजना, उत्पादन के लक्ष्य, बचत और निवेश भुगतान शेष, और निजी क्षेत्रक में निवेश। 1978-83 के योजना के प्रारूप को तैयार करने के समय बनाए गए बहु-क्षेत्रकीय संगति निदर्श का उपयोग करते हुए, 1978-83 की परिशोधित योजना के लिए और 1992-93 तक की दीर्घकालिक भावी अवधि के लिए क्षेत्रकीय अनुमान तैयार किए गए। वर्ष 1982-83, 1983-84 और 1992-93 के लिए महत्वपूर्ण पण्यों के लिए वास्तविक लक्ष्यों की क्षेत्रकीय वृद्धि दरों का अनुमान लगाया गया। इस्पात, कोयला, पेट्रोलियम, उर्वरक, कपास, पटसन आदि जैसी विभिन्न मदों के संबंध में और साथ ही बिजली और रेल यातायात के संबंध में पण्य संतुलन अध्ययन पूरे किए। परिशोधित योजना के लिए कृषि उप-निदर्श के विभिन्न परिमापकों के संबंध में भी अध्ययन किए गए।

इस प्रभाग में इस वर्ष ऐसे अन्य समष्टि आर्थिक अध्ययन किए गए, जैसे—(1) प्रयोज्य आय के अनुमान, (2) 1977-78 और 1992-93 के लिए खपत और बचत, (3) निर्यात अनुमान—कुल, क्षेत्रकीय और पण्य के अनुसार, और (4) भुगतान शेष के अनुमान और आयात अनुमान।

फसल प्रणाली और प्रति हैक्टेयर श्रमिक उपयोग के विस्तृत विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए आगत-निर्गत निदर्श के कृषि क्षेत्रकों के लिए रोजगार (मानक श्रम वर्ष में) का अनुमान लगाया गया। रोजगार और जनशक्ति प्रभाग में तैयार किए गए वर्ष 1977-78 और 1982-83 के लिए सकल उत्पादन के प्रति दस लाख रुपयों के रोजगार मानक का उपयोग करते हुए खनन, विनिर्माण और तृतीयक क्षेत्रकों के लिए निदर्श के अन्य क्षेत्रकों के लिए इसी प्रकार के अनुमान लगाए गए। जन-संख्या के अधिक गरीब वर्गों के हित में निजी खपत के पुनर्वितरण के रोजगार और वृद्धि संबंधी अनुमानों का अध्ययन किया गया।

योजना आयोग में पहली बार अल्पकालिक पूर्वानुमान निदर्श संबंधी कार्य इस प्रभाग में शुरू किया गया।

वैकल्पिक धारणाओं के आधार पर आरंभिक राज्यवार और अखिल भारतीय गरीबी संबंधी अनुमान लगाए गए । इसके लिए निम्नलिखित मानक अपनाए गए :—

(1) विभिन्न राज्यों के लिए अनुप्रयुक्त मुद्रा तुल्यांक की दृष्टि से परिभाषित अखिल भारतीय गरीबी का स्तर;

(2) विभिन्न राज्यों में कीमत-परिवर्तन के लिए समायोजित गरीबी से ऊपर का मानक ;

(3) विभिन्न राज्यों के लिए अनुप्रयुक्त अखिल भारतीय कैलोरी मानक;

(4) आयु, स्त्री-पुरुष और आर्थिक कार्यकलाप के आधार पर विभिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग निर्धारित कैलोरी मानक;

(5) विभिन्न राज्यों में ताप परिवर्तन के लिए समायोजित उपर्युक्त 4 के अनुसार मानक ।

नई छठी पंचवर्षीय योजना (1980-81 से 1984-85 तक) से संबंधित तकनीकी टिप्पणियां और अन्य संबंधित तकनीकी अध्ययन तैयार किए जा रहे हैं ।

2. आर्थिक प्रभाग :

आर्थिक प्रवृत्तियां और नीतियां:—

1979-80 की वार्षिक योजना के दस्तावेज को तैयार करने के संबंध में वर्ष 1798-79 के लिए अर्थ-व्यवस्था की प्रगति की समीक्षा करने के अलावा इस प्रभाग ने अर्थ-व्यवस्था में इस प्रकार की समष्टि-आर्थिक प्रवृत्तियों का समय-समय पर विश्लेषण और समीक्षा की, जैसे—राष्ट्रीय आय, कृषि और औद्योगिक उत्पादन, थोक और उपभोक्ता कीमत, मुद्रा पूर्ति में वृद्धि, बचत और निवेश भुगतान शेष, आदि ।

प्रभाग ने विभिन्न समितियों की रिपोर्ट और सिफारिशों की जांच भी की । ग्रामीण क्षेत्रक से संबंधित आय, मजदूरी, कीमतों, ग्रामीण गरीब लोगों पर कर लगाने, राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी नीति आदि से संबंधित अध्ययन दल की सिफारिशों की जांच करने और उन पर विचार करने के लिए वित्त मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए कार्यकारी दलों के साथ भी यह प्रभाग घनिष्ठ रूप से संबद्ध रहा ।

संसाधन:—

राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा फरवरी, 1979 में किए गए निर्णयों के अनुसरण में 1978-83 की पांच वर्ष की अवधि के लिए अलग-अलग राज्यों को केन्द्रीय सहायता के आवंटन को अंतिम रूप दिया गया । राज्यों के परामर्श से तैयार किए गए उनके संसाधनों के अद्यतन अनुमानों और उनके आधार पर राज्य योजनाओं के आकार को निर्धारित किया गया । बजत, निवेश और वित्तीय संसाधनों से संबंधित कार्यकारी दल ने अपने अनुमानों को अंतिम रूप दिया जिनका उपयोग 1978-83 की पंचवर्षीय योजना के परिशोधित प्रारूप में बताई गई वित्त-व्यवस्था करने की स्कीम को तैयार करने के लिए किया गया।

1979-80 की राज्य योजनाओं की वित्त-व्यवस्था को वित्त मंत्रालय और संबंधित राज्य के परामर्श से अंतिम रूप दिया गया ।

केन्द्रीय और राज्य योजनाओं के संभावित आकार और 1980-81 के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता की मात्रा के संबंध में सामान्य राय कायम करने के लिए, 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए केन्द्र और राज्यों के संसाधनों का आरंभिक अनुमान अक्तूबर, 1979 में तैयार किया गया । बाद में अलग-अलग राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ 1980-81 की योजना के लिए उनके संसाधनों के सहमत अनुमान तैयार करने के लिए विस्तार से विचार-विमर्श किया गया । वर्ष 1980-81 के लिए केन्द्रीय संसाधनों के संबंध में निश्चित राय कायम करने के लिए वित्त मंत्रालय के साथ भी विस्तार से विचार-विमर्श किया गया ।

विभिन्न वित्तीय विषयों और प्रश्नों की समय-समय पर जांच की गई । इसके अलावा इस प्रभाग के अधिकारियों ने राज्य कर और राज्य उत्पादन शुल्क की क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों में भाग लिया ।

3. परियोजना मूल्यांकन :

वर्ष 1979-80 में परियोजना मूल्यांकन प्रभाग ने लगभग 110 परियोजनाओं की साध्यता रिपोर्टों का मूल्यांकन किया, जिनमें से हरेक परियोजना में 5 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश था और ऐसी अनेक अन्य परियोजनाएं थीं जिनमें 5 करोड़ रुपये से कम निवेश था परन्तु ऐसे निवेश में कई अंतर-क्षेत्रकीय प्रश्न निहित थे । वर्ष 1979 में कुल 116 मूल्यांकन टिप्पणियों को अंतिम रूप दिया गया । क्षेत्रकवार वितरण इस प्रकार है :—

	तैयार की गई मूल्यांकन टिप्पणियों की संख्या	कुल पूंजी† लागत (करोड़ रु०)
1. उर्वरक और रसायन . . .	17	1380.33
2. पैट्रोलियम और पैट्रो-रसायन . .	11	779.80
3. कोयला, इस्पात, खान और धातु . .	29	3390.47
4. अन्य औद्योगिक परियोजनाएं . .	8	106.01
5. विद्युत्	4	762.16
6. खाद्य और कृषि . . .	12	205.21
7. नौवहन, परिवहन, पर्यटन और नागर विमानन	30	427.07
8. संचार	3	49.69
9. अन्य	2	24.40
जोड़	116	7125.14

†II नई परियोजनाओं के लिए कुल परियोजना लागत और पहले खर्च की जा चुकी लागत सहित परिशोधित लागत अनुमान ।

इस प्रभाग ने कुछ क्षेत्रकों में इष्टतम निवेश चयन के निर्धारण के संबंध में अध्ययन किए । यह सामाजिक लागत-लाभ विश्लेषण के लिए आवश्यक कार्य प्रणालियों, मानकों और परिमापकों को तैयार करने का काम करता रहा ।

योजना आयोग द्वारा 1978 में स्थापित की गई श्री बी० शिवरामन की अध्यक्षता में सात अन्य सदस्यों की फार्म यंत्रीकरण से संबंधित समिति की व्यवस्था यह प्रभाग करता रहा ।

शिल्पविज्ञान विश्लेषण एकक ने अनेक उद्योगों में वैकल्पिक शिल्पविज्ञान के अर्थशास्त्र से संबंधित अध्ययन किए ।

4. प्रबोधन :

इस वर्ष योजनागत परियोजनाओं की प्रगति तथा उद्योग और खनन, ऊर्जा, परिवहन सिंचाई के 19 उप-क्षेत्रकों में लक्ष्यों की प्राप्ति का विश्लेषण किया गया और योजना आयोग के उपयोग के लिए तिमाही स्थिति रिपोर्टें निकाली गईं। इस वर्ष ग्रामीण विकास और भू-संरक्षण—इन दो अन्य क्षेत्रकों का भी इन तिमाही रिपोर्टों में समावेश किया गया । परियोजनाओं के परिव्ययों और व्यय के विश्लेषण का काम शुरू किया गया । इन स्थिति रिपोर्टों में इन बातों को महत्वपूर्ण रूप में स्पष्ट किया जाता है—वार्षिक और पंच वर्षीय योजना के लक्ष्यों की तुलना में प्राप्त हुए और प्रत्याशित उत्पादन के स्तर, क्षमता का उपयोग, निर्माणाधीन प्रमुख परियोजनाओं के चालू होने की तारीखें, उत्पादन वृद्धि के विलंम्ब का प्रभाव, दीर्घकालिक उत्पादन वृद्धि, मांग अनुमान, अंतर-क्षेत्रकीय संबद्धताएं, समस्याएं और कार्यवाही के क्षेत्र ।

योजना आयोग जनजातीय और पिछड़े वर्गों, शिक्षा, आवास, शहरी विकास, जलपूर्ति, बड़ी और छोटी सिंचाई, स्वास्थ्य, आदि के लिए कार्यक्रमों और परियोजनाओं के लिए प्रबोधन प्रणालियां तैयार करने का प्रयत्न कर रहा है । इन पांच क्षेत्रकों के लिए प्रबोधन प्रणालियों को अंतिम रूप दिया गया—आवास, शहरी विकास और जल पूर्ति, सिंचाई तथा शिक्षा । इनका कार्यान्वयन किया जा रहा है ।

योजना आयोग, योजना के कार्यान्वयन और प्रबोधन प्रणालियों को तैयार करने, संगठित करने, स्थापित करने और बढ़ाने में केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सरकारी उद्यमों को सलाह और सहायता देता रहा ।

भारतीय प्रशिक्षण और विकास संस्था के सहयोग से 'परियोजना आयोजना' 'कार्यान्वयन और प्रबोधन प्रणालियां' के संबंध में दो संगोष्ठियों का आयोजन किया गया ।

1980-81 के लिए योजना प्रस्तावों की जांच करने के संबंध में, 10 करोड़ रुपये या अधिक की लागत वाली सरकारी क्षेत्रक की बड़ी परियोजनाओं की संसाधन पर

आधारित व्यवस्थाओं का गहन विश्लेषण किया गया जिससे कि धनराशि संबंधी प्रस्तावित आवश्यकताओं को समय-अनुसूचियों, कार्य की मात्रा, अदायगियों की शर्तों, बड़े उपस्करों के लिए आर्डर देने और प्राप्त करने, आदि के साथ संबद्ध करके परिव्ययों के संबंध में निर्णयों में सहायता की जा सके । परियोजना प्राधिकारियों को वार्षिक योजना के लिए संसाधन पर आधारित व्यवस्थाओं और विवरणों को तैयार करने में आवश्यक सहायता भी दी गई ।

योजना आयोग के लिए अभिकलित्र पर आधारित न्यास बैंक की रूपरेखा तैयार करने और विकसित करने का काम जारी रहा और विद्युत् क्षेत्रक के लिए काम हाथ में लिया गया ।

5. कृषि और ग्रामीण विकास :

(क) कृषि :

इस वर्ष 1980-81 की वार्षिक योजना के लिए राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों के प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया गया और परिशोधित छठी पंच वर्षीय योजना के परिशोधित अध्याय तैयार किए गए । इसके अलावा कृषि और सिंचाई मंत्रालय से प्राप्त अनेक प्रस्तावों/परियोजनाओं की जांच की गई ।

(ख) ग्रामीण विकास :

ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक अभिकरणों की भूमिका से संबंधित समिति की रिपोर्ट की जांच की गई । यह निर्णय किया गया कि खंड स्तर योजना और एकीकृत ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों में उपयुक्त स्वैच्छिक अभिकरणों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने की नीति को सक्रिय रूप से जारी रखा जाए । तथापि इस प्रयोजन के लिए स्वैच्छिक अभिकरणों का चयन स्वयं राज्य सरकारों द्वारा किया जाएगा ताकि स्थानीय योजना और कार्यान्वयन तंत्र के साथ अधिकाधिक समन्वय और सम्पर्क रखा जा सके ।

योजना आयोग द्वारा, भूदान भूमि और अधिकतम बेशी भूमि के संहत खंडों के लिए कृषि विकास के लिए उपयुक्त कार्यनीति तैयार करने के लिए श्री वी० शिवरामन की अध्यक्षता में दिसम्बर, 1977 में नियुक्त की गई समिति की मार्च, 1979 में प्राप्त हुई रिपोर्ट सभी राज्य सरकारों को इस समिति की सिफारिशों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए भेजी गई ।

(ग) सिंचाई और नियंत्रण क्षेत्र विकास :

इस वर्ष सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुत उद्देश्यीय परियोजनाओं से संबंधित सलाहकार समिति ने सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और बहुउद्देश्यीय 35 बड़ी और मझौली परियोजनाओं पर विचार किया।

बनाई गई क्षमता और उसके उपयोग के बीच अंतर को कम करने के उद्देश्य से योजना आयोग ने कृषि और सिंचाई मंत्रालय के परामर्श से राज्य सरकारों को यह

सलाह दी है कि कम से कम 5—8 हेक्टेयर तक के खंड के लिए सिंचाई परियोजना के लिए भाग के रूप में खेत की नालियों को बनाना वांछनीय होगा। उपर्युक्त मापदंड चालू और नई परियोजनाओं पर तत्काल लागू होगा। पूरी हो चुकी परियोजनाओं के लिए खेत की नालियों की व्यवस्था करने के काम को आधुनिकीकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में शुरू किया जाना है। खेत की नालियों को बनाने के परिणामस्वरूप परियोजना की कुल लागत कुछ बढ़ जाएगी। इसलिए राज्य सरकारों द्वारा सिंचाई की दरें बढ़ाई जा सकती हैं।

राज्यों द्वारा केन्द्रीय जल आयोग को भेजे जाने के लिए बड़ी सिंचाई से संबंधित प्रबोधन रिपोर्टों के परिशोधित प्रपत्र को योजना आयोग द्वारा अंतिम रूप दिया गया।

6. विद्युत् और ऊर्जा :

योजना आयोग द्वारा दिसम्बर, 1977 में गठित ऊर्जा नीति से संबंधित कार्यकारी दल ने नवम्बर, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। कार्यकारी दल ने पहले की ऊर्जा खपत की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया है, देश के ऊर्जा संसाधनों की समीक्षा की है और ऊर्जा की भावी आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है। तेल के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं और सीमित देशीय संसाधन संपन्नता को ध्यान में रखते हुए दल ने ऊर्जा की भावी आवश्कताओं को पूर्ति की संभावनाओं के अनुरूप बनाने के लिए अनेक सिफारिशें की हैं। इस दल की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

इस वर्ष योजना आयोग द्वारा विद्यमान खानों के पुनर्गठन और नई खानें खोलने से संबंधित अनेक स्कीमों का अनुमोदन किया गया। इन स्कीमों का अनुमोदन किया गया। इन स्कीमों की दिसम्बर, 1979 तक की अनुमोदित अधिकतम क्षमता 239 लाख टन है जिसे 314 करोड़ रु० की पूंजी लागत से प्राप्त किया जाएगा। अधिक महत्वपूर्ण परियोजनाओं में बांकोला, सतग्राम, बाबुला में परियोजनाओं का पुनर्गठन, दीना और उमरेर के लिए विस्तार के प्रस्ताव तथा केडला, धनपुरी, गेवरा और कटरा में नई खानें हैं।

वर्ष के आरम्भ में कोयले के उत्पादन, परिवहन और खपत में दिखाई दी प्रवृत्तियों के आधार पर इस वर्ष कोयला उद्योग के विकास की संभावनाओं का अनुमान लगाया गया। इस उद्योग के विकास की प्रगति में रुकावट डालने वाली कुछ बाध्यकारिताओं को दूर करने के लिए अनेक उपायों का सुझाव दिया गया।

पैट्रोलियम के क्षेत्रक में, निम्नलिखित बड़ी परियोजनाओं का अनुमोदन किया गया :—

(1) बम्बई हाई क्षेत्र का विकास (चरण 3 और 4)

(2) आस्ल इंडिया लिमिटेड की एल० पी० जी० परियोजना।

(3) कोचीन तेल शोधक कारखाने, बी० पी० सी० एल० तेलशोधक कारखाने और मद्रास तेलशोधक कारखानों में क्षमता का विस्तार और सहायक प्रक्रमण सुविधाओं की स्थापना।

(4) तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए जेक अप साज-सामान और बहु-उद्देश्यीय सहायक पोत प्राप्त करना ।

7. उद्योग और खनिज :

1978-83 की पंच वर्षीय योजना के परिशोधन के लिए पुनर्गठित किए गए उद्योग और खनिज से संबंधित विभिन्न कार्यकारी दलों की रिपोर्टों की उद्योग और खनिज प्रभाग में जांच की गई और पंच वर्षीय योजना में शामिल किए गए 1982-83 के लिए लक्ष्यों को अंतिम रूप देने में उनकी सिफारिशों को ध्यान में रखा गया । योजना में शामिल की गई औद्योगिक परियोजनाओं और कार्यक्रमों का विस्तार से अध्ययन किया गया तथा 1978-83 की अवधि के लिए परिव्यय निर्धारित किए गए । बड़े उद्योगों और खनिजों के विकास कार्यक्रमों का भी अध्ययन किया गया और पंच वर्षीय योजना की नीतियों और उद्देश्यों के अनुरूप वर्ष 1982-83 के लिए क्षमता और उत्पादन के अनुमान लगाए गए। 5 करोड़ रु० और उससे अधिक की लागत वाली सभी परियोजनाओं के संबंध में सरकारी उद्यमों के अधिकारियों के साथ गहन विचार-विमर्श किया गया । सरकारी क्षेत्रक के 40 से अधिक उद्यमों से ऐसे विस्तारपूर्वक विचार-विमर्श किए गए जो उनकी परियोजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में थे ।

8. ग्राम और लघु उद्योग :

उद्योग के विकेन्द्रित क्षेत्रक के लिए तैयार चमड़े की कमी की समस्याओं और कारीगरों को उचित मूल्य पर उपयुक्त स्तर के तैयार चमड़े की उपलब्धता में सुधार करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देने के लिए एक कार्यकारी दल बनाया गया।

1978-83 की पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देने के संबंध में लघु उद्योगों के लिए योजना में परिकल्पित उत्पादन और रोजगार के लक्ष्यों के संदर्भ में निवेश उत्पादन और उत्पादन रोजगार के लिए गुणांक तैयार किए गए ।

खादी और ग्रामोद्योग आयोग के कार्यकरण की, उसकी वित्तीय स्थिति, उसकी संगठनात्मक संरचना को ठीक करने और उसके विपणन संबंधी कार्यकलापों के विशिष्ट संदर्भ में समीक्षा की गई ।

कर्नाटक के केन्द्रीय सिल्क बोर्ड द्वारा टसर के लिए मार्गदर्शी विस्तार और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना, विश्व बैंक की सहायता से रेशम उत्पादन परियोजना, ग्रामीण विपणन केन्द्र और लघु उद्योगों के लिए केन्द्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत इंजीनियरों के प्रशिक्षण की स्कीमों के विषय-क्षेत्र के विस्तार से संबंधित अनेक प्रस्तावों की जांच की गई।

9. परिवहन और संचार :

विभिन्न राज्य सड़क परिवहन निगमों के वित्तीय संसाधनों के बारे में उन निगमों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श किया गया और 1980-81 की वार्षिक योजना

में उनके प्रत्याशित योगदान का मूल्यांकन किया गया । इन विचार-विमर्शों में निगमों के वाहनों के उपयोग, प्रति यात्री किलोमीटर लागत, सीट अनुपात, आदि को ध्यान में रखते हुए निगमों की प्रचालन दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए विस्तृत समीक्षा की गई। जहां कहीं आवश्यक समझा गया वहां परिवहन निगमों को अपनी प्रचालन दक्षता में सुधार करने के लिए सलाह दी गई ।

विभिन्न क्षेत्रकों से संबंधित ऐसी अनेक परियोजनाओं की विस्तार से जांच की गई जिनमें योजना आयोग या व्यय वित्त समिति, सरकारी निवेश बोर्ड या मंत्रिमंडल का अनुमोदन अपेक्षित था और इस संबंध में योजना आयोग के विचार और टिप्पणियां तैयार की गई तथा उन्हें पत्र-व्यवहार द्वारा और विभिन्न अंतर-मंत्रालयीन बैठकों में सूचित किया गया।

जिस राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति को अन्य बातों के साथ-साथ ये कार्य करने के लिए बनाया गया था—(क) पंच वर्षीय योजना में निर्धारित किए गए उद्देश्यों और प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए अगले दशक या इसके समान समय के लिए देश के लिए व्यापक राष्ट्रीय परिवहन नीति का प्रस्ताव करने; (ख) ऐसे क्षेत्र निर्धारित करने जिनमें परिवहन प्रणाली के न्यास आधार को बढ़ाया और ठीक किया जाना चाहिए ; और (ग) उन क्षेत्रों की सिफारिश करने जिनमें परिवहन संबंधी अनुसंधान और विकास किया जाए और प्रशिक्षण की सुविधाओं में सुधार किया जाए; उसने 19 मार्च, 1980 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी।

10. शिक्षा :

शिक्षा के लिए प्रबोधन प्रणाली का अध्ययन करने के लिए स्थापित किए गए कार्यकारी दल ने मार्च, 1979 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस दल ने यह सिफारिश की है कि (1) प्रारंभिक शिक्षा के सार्वीकरण और (2) राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से संबंधित दो प्रमुख कार्यक्रमों का शुरू में देशव्यापी आधार पर, अर्थात् संस्थागत स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक प्रबोधन किया जाए ।

अनौपचारिक प्रारम्भिक शिक्षा के लिए एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम को अंतिम रूप दिया गया ताकि पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले बच्चों और पूरे समय के लिए स्कूल नहीं जा सकने वाले बच्चों को इस स्कीम में शामिल किया जा सके। इस योजना का मुख्य बल मुख्य रूप से शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए 9 राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाओं के सार्वीकरण में अपने प्रयासों में सहायता देना होगा ।

जिन गांवों/वास स्थानों की आबादी कम से कम 200 है और जहां उपयुक्त दूरी के भीतर प्रारंभिक शिक्षा की सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं उनमें स्कूल की सुविधाओं की व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया गया है । एकल अध्यापक वाले स्कूलों की संख्या बढ़ाना, प्राथमिक शालाओं के भवनों/कक्षा के कमरों का निर्माण करना, दोपहर का मुफ्त भोजन किताबों और स्कूल की वर्दियों की निःशुल्क पूर्ति करने जैसे प्रोत्साहनों की शिक्षा के स्तर

में सुधार करने और बच्चों को स्कूल में रखने में सहायता करने के लिए अन्य उपायों के साथ-साथ परिकल्पना की गई है । राष्ट्रीय सूचना केन्द्र के सहयोग से प्रारम्भिक स्कूलों में नामांकन और उपस्थिति के प्रबोधन के लिए प्रबंध किए गए हैं।

समीक्षाधीन वर्ष में अन्य क्षेत्रों के अलावा निम्नलिखित क्षेत्रों का अध्ययन किया गया:—

(1) 1978-79 की वार्षिक योजना तथा राज्यों की 1979-80 की वार्षिक योजना में परिशोधित न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत प्रारम्भिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा की समीक्षा ।

(2) वार्षिक योजना 1980-81: 1980-81 की वार्षिक योजना में प्रारंभिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा और अन्य क्षेत्रकों के लिए अस्थायी वास्तविक लक्ष्य और परिव्यय संबंधी आवश्यकताएं ।

(3) व्यावसायिक और सहायक चिकित्सा व्यवसाय ।

(4) उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला का पुनर्गठन ।

(5) जनसंख्या शिक्षा से संबंधित संयुक्त राष्ट्र परिवार नियोजन सहायता परियोजना —औपचारिक शिक्षा प्रणाली ।

(6) एशियाई खेल, 1982

(7) समुदाय पोलिटेकनिक संबंध परियोजना रिपोर्ट का प्रारूप।

11. वैज्ञानिक अनुसंधान :

मंत्रालयों/विभागों के विज्ञान और शिल्पविज्ञान संबंधी कई कार्यक्रमों पर विचार किया गया जिनमें, उदाहरण के लिए, सामुदायिक बायो-गैस कार्यक्रम, सुदूर सुग्राही सुविधाओं को बढ़ाना, लोहा और इस्पात के लिए अनुसंधान और विकास, उर्वरक और रसायन, खादी और ग्रामोद्योग, आदि के लिए विज्ञान और शिल्पविज्ञान कार्यक्रम शामिल थे । दूसरे भारत (संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम) देश कार्यक्रम (1979—83) में शामिल करने के लिए अनेक कार्यक्रमों पर विचार किया गया। विदेशी तकनीकी सहायता के प्रभावी उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धान्तों के संबंध में पत्र तैयार भी किया गया ।

इस वर्ष विदेशी तकनीकी सहायता के लिए जिन परियोजनाओं की जांच की गई वे व्यावसायिक प्रशिक्षण, कृषि इंजीनियरी, कागज और लुगदी उद्योग चमड़ा, शिल्पविज्ञान, भौम जल अध्ययन, अनाजों की उत्पादकता और पोषाहार के स्तर में सुधार, सामुद्रिक पर्यावरण का संरक्षण, ताजा पानी मछली संवर्धन का तीव्रण, छेदन कुओं की खुदाई, अभिकलित्र आधारित डिजाइन इंजीनियरी, सौर ऊर्जा, समुद्र विज्ञान और शिल्पविज्ञान, आदि के क्षेत्र में थीं ।

12. स्वास्थ्य और परिवार कल्याण:

योजना आयोग तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा अक्तूबर, 1977 में संयुक्त रूप से निम्नलिखित विषयों के संबंध में छः कार्यकारी दल बनाए गए:—

(1) स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार कल्याण (ग्रामीण क्षेत्र);

(2) स्वास्थ्य की देखभाल और परिवार कल्याण (शहरी क्षेत्र),

(3) चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान;

(4) निरोधक औषध और लोक स्वास्थ्य ;

(5) भारतीय चिकित्सा प्रणाली और होम्योपैथी ; और

(6) औषधि और खाद्य में मिलावट ।

इसके बाद 1978—83 की योजना के लिए नीति/कार्यक्रम की प्राथमिकताओं का निर्माण और निर्धारण करने के लिए योजना आयोग द्वारा स्वास्थ्य सचिव की अध्यक्षता में गठित समन्वय दल ने विभिन्न कार्यकारी दलों द्वारा की गई सिफारिशों पर विचार किया। योजना के परिशोधित प्रारूप में बताई गई स्वास्थ्य नीतियों/कार्यक्रमों में इस समन्वय कार्यकारी दल द्वारा की गई सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है।

जनसंख्या नीति से संबंधित जिस कार्यकारी दल को पिछले वर्ष जनसंख्या स्थिति, उपलब्धि और भावी स्थिति पर विचार करने तथा वर्तमान और बाद की योजना की अवधियों के लिए उपलब्धि के साध्य स्तरों सहित प्रजनन नियंत्रण कार्यक्रम का सुझाव देने के लिए स्थापित किया गया था, उसने पिछले वर्ष अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी थी। इस अंतरिम रिपोर्ट में व्यक्त किए गए विचारों को छठी योजना के परिशोधित प्रारूप के लिए जनसंख्या नियंत्रण नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण को ध्यान में रखा गया ।

13. आवास, शहरी विकास और जलपूर्ति :

वर्ष 1978-79 में आवास और शहरी विकास क्षेत्रकों के संबंध में योजना निष्पादन की समीक्षा तैयार की गई ।

फरवरी, 1979 में राष्ट्रीय विकास परिषद में हुए विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप और सरकार के छोटे और मझौले, कस्बों के विकास पर बल के अनुरूप ताकि उन्हें इस योग्य बनाया जा सके कि वे ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था में सहायक हो सकें और महानगरीय शहरों में लोगों के प्रवजन को कम किया जा सके, योजना आयोग के कहने पर निर्माण और आवास मंत्रालय द्वारा छोटे और मझौले नगरों के एकीकृत विकास से संबंधित एक नई केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम तैयार की गई । एक लाख तक की जनसंख्या वाले लगभग 200 नगरों को इस स्कीम में लाने का प्रस्ताव है।

14. पिछड़े वर्गों का विकास :

1978—83 की छठी पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जातियों के विकास के लिए योजना कार्यनीति के भाग के रूप में राज्य सरकारों और संघ राज्य प्रशासनों से यह अनुरोध किया गया कि वे प्रत्येक क्षेत्रक में ऐसी स्कीमों को निर्धारित करें जिनसे इन समूहों को सीधा लाभ पहुंचे और जो इस संबंध में होने वाले कुल निवेश और कम से कम उनकी जनसंख्या के समानुपात में परिव्यय निर्धारित करने के अनुरूप हों । केन्द्रीय मंत्रालयों को अपने-अपने संबंधित क्षेत्रकों के लिए इसी प्रकार की विशेष संघटक योजना तैयार करने के लिए अलग से मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए ।

जिन अन्तर-निवासों की जनसंख्या 10,000 अथवा अधिक व्यक्तियों की हो और जिनमें जनजातीय जनसंख्या 50 प्रतिशत और उससे अधिक हो उन्हें शामिल करके अनुसूचित जनजातीयों के लिए एकीकृत विकास के अन्तर्गत क्षेत्र का विस्तार किया गया । पांच राज्यों द्वारा निर्धारित किए गए ऐसे जनजातीय अंतर-निवासों की संवीक्षा की गई ।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए पिछड़े वर्ग क्षेत्रक के लिए छठी पंचवर्षीय योजना के परिशोधित प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया ।

वर्ष 1979-80 के लिए पिछड़े वर्गों के लिए वार्षिक योजना, जनजातीय उपयोजना और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष संघटक योजना को अंतिम रूप दिया गया।

पिछड़े वर्गों के लिए कार्यक्रमों के प्रबोधन और मूल्यांकन से संबंधित कार्यकारी दल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।

15. रोजगार और जनशक्ति योजना :

देश में श्रम, रोजगार और जनशक्ति की स्थिति की समीक्षा की जाती रही । (1) मजदूरों की संख्या, (2) रोजगार, बेरोजगारी और अल्प-रोजगार, (3) श्रम गुणांक, (4) विभिन्न क्षेत्रकों में जनशक्ति के विभिन्न वर्गों की संख्या की उपलब्धता और आवश्यकता का अनुमान लगाने से संबंधित कार्यप्रणाली के बारे में प्रश्नों का विश्लेषण किया गया। विभिन्न राज्यों द्वारा आरंभ किए गए/प्रस्तावित विशेष रोजगार कार्यक्रमों, तथा शिक्षित बेरोजगारों, महिला श्रमिकों और बाल श्रमिकों से संबंधित अध्ययनों की जांच की गई । यह प्रभाग जनगणना के आधार पर रोजगार/बेरोजगारी, सर्वेक्षण, रोजगार कार्यालय, संगठन और रोजगार बाजार सूचना तथा श्रम, रोजगार और जनशक्ति से संबंधित न्यास आधार को बढ़ा रहा है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से तथा अन्य स्रोतों से प्राप्त अतिरिक्त सूचना के आधार पर विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में जनशक्ति वृत्त को अद्यतन बनाना जारी रखा गया ।

16. सांख्यिकी और सर्वेक्षण :

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों में सांख्यिकी के विकास से संबंधित कार्यकारी दल की पूरक रिपोर्ट तैयार की गई :

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के कनिष्ठ प्रमाण पत्र 'पाठ्यक्रम के प्रशिक्षार्थियों के लिए योजना सांख्यिकी' का एक विशेष पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

मालदीव के अन्तर्राष्ट्रीय सांख्यिकीय शिक्षा केन्द्र के प्रशिक्षार्थी के लिए आर्थिक योजना और परियोजना मूल्यांकन का दो सप्ताह का एक विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया।

निम्नलिखित प्रकाशन निकाले गए :—

(1) 'आंकड़ों में भारत की अर्थ-व्यवस्था, 1979'—फोल्डर।

(2) 'भारतीय अर्थ-व्यवस्था से संबंधित मूल आंकड़े' 1950-51 से 1976-77 तक। 1978-79 अंक की पांडुलिपि तैयार की की गई और छपने के लिए भेजी गई।

17. सूचना और प्रचार :

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के माध्यम एककों द्वारा योजना प्रचार के लिए संदर्शन करने के लिए योजना सूचना और प्रचार समन्वय समिति जारी रखी गई।

इस वर्ष योजना और इससे संबद्ध विषयों से संबंधित निम्नलिखित 18 दस्तावेज छपवाए गए :

(1) वार्षिक रिपोर्ट 1978-79 (अंग्रेजी और हिन्दी)।

(2) वार्षिक योजना 1978-79 और योजना निष्पादन की समीक्षा 1977-78 (अंग्रेजी और हिन्दी)।

(3) 20 प्रतिशत और इससे अधिक की अनुसूचित जाति जनसंख्या की बहुलता वाले सामुदायिक विकास खण्ड।

(4) भारतीय अर्थ-व्यवस्था की संरचना और विकास के लिए योजना से संबंधित अध्ययन।

(5) (का० मू० सं० की) संरचना, कार्य और कार्यकलाप।

(6) राष्ट्रीय विकास परिषद—कार्यवृत्त का सारांश: 33 वीं बैठक (24-25 फरवरी, 1979)।

(7) परियोजना वृत्त—एकीकृत बाल विकास परियोजनाएं।

(8) वार्षिक योजना 1979-80 (अंग्रेजी और हिन्दी)।

(9) शिक्षित बेरोजगारों के लिए विशेष रोजगार कार्यक्रम का अध्ययन (1971-74)।

(10) ग्रामीण विकास के लिए पुरजोर कार्यक्रम का अध्ययन (1971-74)।

(11) महाराष्ट्र की रोजगार गारंटी स्कीम—राज्य की रिपोर्ट—तालुका स्तर टिप्पणियां—संयुक्त मूल्यांकन।

(12) एकीकृत बाल विकास की तैयारी की स्थिति के बारे में रिपोर्ट ।

(13) ग्रामीण उद्योग परियोजनाओं का मूल्यांकन अध्ययन ।

(14) राज्य मूल्यांकन संगठनों के अध्यक्षों के पहले सम्मेलन का दस्तावेज और कार्यवाही ।

(15) राजस्थान में अंत्योदय कार्यक्रम के कार्यकरण का मूल्यांकन अध्ययन ।

(16) लघु कृषक विकास अभिकरण/सीमांत कृषक और कृषि श्रमिक परियोजनाओं से संबंधित रिपोर्ट ।

(17) छठी पंच वर्षीय योजना का प्रारूप--1978-83—परिशोधित—भाग I (योजना रूपरेखा) ।

(18) छठी पंच वर्षीय योजना का प्रारूप—1978-83—परिशोधित ।

18. अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार और विकास :

वर्ष 1974-79 में और 1979-80 (अप्रैल-सितम्बर) के लिए भारत के विदेशी व्यापार की प्रवृत्तियों का विस्तृत विश्लेषण किया गया । बल्गारिया, पोलैंड, जर्मन संघीय गणराज्य, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बर्मा और बंगला देश जैसे विभिन्न देशों की अर्थ-व्यवस्थाओं के विशेष रूप से भारत के साथ उनके आर्थिक संबंधों के संदर्भ में विशेष देशों के अध्ययन किए गए ।

19. समाजिक-आर्थिक अनुसंधान :

इस वर्ष निम्नलिखित परियोजनाएं अनुमोदित और प्रायोजित की गईं :—

(1) "परिवार नियोजन से संबंधित लक्ष्यों को राज्यवार तैयार करने और विवाह की आयु में परिवर्तनों का अध्ययन," अन्तर्राष्ट्रीय जनसंख्या अध्ययन संस्थान, देवनार, बम्बई ।

(2) "उत्तर प्रदेश में कृषि विकास और उसकी क्षमता," गिरि विकास अध्ययन संस्थान, लखनऊ ।

(3) "पारिवारिक आय और उसका वितरण/विन्यास, एक समष्टि स्तर अध्ययन," राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान संस्थान, नई दिल्ली ।

(4) "ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी वितरण प्रणाली विकसित करना," राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, हैदराबाद ।

(5) "वितरण व्यापार में व्यापारिक गुंजाइश और सरणि कुशलता", दी इकोनोमिस्ट्स ग्रुप, नई दिल्ली ।

(6) "सरकारी बजट द्वारा क्षेत्रकीय पुनर्वितरण अनुसंधान", योजना और कार्य केन्द्र, नई दिल्ली ।

(7) "हजारीबाग जिले के स्कूलों में नाम दर्ज न कराने वाले, स्कूल में हाजिर न होने वाले और पढ़ाई के बीच में ही स्कूल छोड़ देने वाले 6-14 वर्ष की आयु वर्ग के बालकों का सर्वेक्षण", ए० एन० सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।

(8) "तुमकुर जिले में सर्वजनीन प्राथमिक शिक्षा का अध्ययन," सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन संस्थान, बंगलौर।

(9) "संचार की आवश्यकताओं और परिशोधन तंत्र के संबंध में जनसंख्या अध्ययन," जनसंख्या संस्था केन्द्र, हैदराबाद।

(10) "सरकारी व्यय में वृद्धि," राष्ट्रीय सरकारी वित्त और नीति संस्थान, नई दिल्ली।

(11) "परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए आधारिक संरचना और संगठन," आर्थिक वृद्धि संस्थान दिल्ली।

(12) "खण्ड स्तर विकास कार्यक्रम का प्रबोधन और मूल्यांकन," प्रणाली अनुसंधान संस्थान, पुणे।

(13) "पश्चिम बंगाल में कृषि विकास और क्षमता," कल्याणी विश्वविद्यालय, कल्याणी।

(14) "बिहार में कृषि वृद्धि और क्षमता", ए० एन० सिन्हा, सामाजिक अध्ययन संस्थान, पटना।

(15) "उद्योगों का बन्द रहना और सुधारात्मक कार्य," प्रबंध विकास संस्थान, नई दिल्ली।

(16) "गुजरात में कृषि विकास और क्षमता," सरदार पटेल आर्थिक और सामाजिक अनुसंधान संस्थान, अहमदाबाद।

इस वर्ष अनुसंधान अध्ययनों से संबंधित निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की गईं :—

(1) "भारतीय कृषि का निष्पादन : जिलेवार अध्ययन"।

(2) "ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण"।

20. जिला और खण्ड स्तर योजना :

राज्य सरकारों को अपने जिला योजना तंत्रों का उपयुक्त रूप से विस्तार करने के लिए सलाह दी गई है जो खण्ड योजनाएं भी तैयार करेंगे।

21. उत्तर-पूर्वी क्षेत्र :

उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के, जिसमें असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैण्ड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है, संतुलित विकास के लिए 1971 में बनाई गई उत्तर-पूर्वी परिषद् ने शिलांग में अपनी 14वीं बैठक की।

22 पहाड़ी क्षेत्र :

पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए असम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, और तमिलनाडु की राज्य सरकारों के प्रयत्नों को बढ़ाने के लिए 47 करोड़ रु० को विशेष केन्द्रीय सहायता दी गई।

23 पश्चिमी घाट :

कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु राज्यों और गोवा, दमण व दीव संघ राज्य क्षेत्र में पश्चिमी घाट क्षेत्र के विकास के लिए 8 करोड़ रु० की विशेष सहायता दी गई।

24. योजना तंत्र :

एक केन्द्रीय स्कीम चल रही है जिसके अंतर्गत योजना आयोग योजना तंत्र का विस्तार करने के लिये योजना विभागों और राज्य योजना बोर्डों में तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित व्यय की दो-तिहाई भाग का सहभाजन करके राज्य सरकारों की योजना व्यवस्था को बढ़ाने और ठीक करने में सहायता करता है। यह स्कीम 1972-73 से चल रही है और 18 राज्यों ने इस स्कीम का लाभ उठाया है।

25. प्रशिक्षण कार्यक्रम :

(1) राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों में विकास कार्यकलापों में लगे अधिकारियों की योजना कार्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए योजना आयोग द्वारा दिल्ली विश्वविद्यालय के आर्थिक विकास संस्थान में निवेश योजना और परियोजना मूल्यांकन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कुल मिलाकर पांच पाठ्यक्रम चलाए गए—वरिष्ठ स्तर और मध्यम स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए 2-2 पाठ्यक्रम और प्रचालन स्तर पर कार्य कर रहे अधिकारियों के लिए एक पाठ्यक्रम।

(2) प्रशासकीय स्टाफ कालेज, हैदराबाद के सहयोग से क्षेत्रीय योजना/बहु-स्तरीय योजना संबंधी एक प्रशिक्षण कार्यक्रम अप्रैल, 1980 में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव है।

(3) मैसूर विश्वविद्यालय के विकास अध्ययन संस्थान के साथ योजना आयोग द्वारा मध्य स्तर पर कार्य कर रहे सरकारी कार्मिकों के लिए दूसरा पत्राचार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जो क्रम से भेजा जाता है।

26. हिन्दी का प्रयोग :

समीक्षाधीन वर्ष में योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज हिन्दी में निकाले गए :

1. रिपोर्ट, 1978-79
2. वार्षिक योजना, 1978-79 और योजना निष्पादन की समीक्षा 1977-78

3. वार्षिक योजना 1979-80

4. योजना मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की बैठकों की कार्यसूची और उसके विषयों और टिप्पणियों के कागज-पत्र (2 बैठकें)।

राजभाषा नीति और राजभाषा नियम, 1976 के कार्यान्वयन के अनुसरण में योजना आयोग के सरकारी कामकाज में, विशेष रूप से पत्र-व्यवहार, सामान्य आदेश और द्विभाषिक फार्मों में हिन्दी के प्रयोग में प्रगति हुई है।

27. विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों/शिष्ट मंडलों की संख्या :

इस रिपोर्ट के अनुलग्नक 1 में इस वर्ष विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों/शिष्ट मंडलों की संख्या दी गई है।

28. पुस्तकालय :

योजना आयोग पुस्तकालय, अन्य संगठनों, संस्थाओं तथा विश्वविद्यालयों आदि के अनुसंधानकर्ताओं, विद्वान्तों और अधिकारियों को परामर्श सेवाएं प्रदान करने के अलावा योजना आयोग के सभी कर्मचारी सदस्यों को संदर्भ सेवा और पुस्तकें देने की सुविधाएं देता रहा। रिपोर्ट की अवधि में 1050 पुस्तकें खरीदी गई और पुस्तकालय में 565 पत्र-पत्रिकाएं प्राप्त हुईं। पुस्तकालय ने 2151 संदर्भ प्रश्नों के उत्तर भी दिए, एक ग्रंथ सूची तैयार की, 7599 व्यक्तियों की सेवा की और 28,000 पाठक पुस्तकालय में आए।

हमेशा की तरह पुस्तकालय ने प्राप्त हुई पत्र-पत्रिकाओं में से लिए गए/चुने हुए लेखों की साप्ताहिक सूची और प्राप्त हुई नई पुस्तकों की साप्ताहिक सूची नियमित रूप से निकाली।

अनुलग्नक-1

वर्ष 1979-80 में विदेशों में भेजे गए प्रतिनिधि मंडलों/शिष्ट मंडलों की संख्या के संबंध में सूचना

मंत्रालय/विभाग का नाम		योजना आयोग		
क्र० सं०	विदेश में प्रतिनिधि के रूप में भेजे गए व्यक्तियों का नाम	उस देश/स्थान का नाम जहां की यात्रा की	यात्रा का प्रयोजन	यात्रा की अवधि	सरकार द्वारा किया गया व्यय (रु०)
1	2	3	4	5	6
1.	श्री एस० के० बनर्जी सलाहकार	मेक्सिको (मेक्सिको)	अंतर्राष्ट्रीय जल संसाधन एसोसिएशन का तीसरा सम्मेलन	20-4-79 से 29-4-79 तक	17770.42
2.	श्री एस० के० दुग्गल संयुक्त सलाहकार	लंदन (इंग्लैंड)	कोलंबो योजना के अंतर्गत लंदन स्कूल आफ इकानामिक्स में समाज योजना के संबंध में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।	29-9-78 से 14-9-79 तक	34.25 (विमान पत्तन कर)
3.	श्री एम० सत्यपाल सलाहकार	मास्को	आर्थिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-रूस संयुक्त आयोग का 5वां अधिवेशन	4-6-79 से 12-6-79 तक	8760.00
4.	डा० जे० डी० सेठी सदस्य	न्यूयार्क (संयुक्त राज्य अमेरिका)	संयुक्त राष्ट्र संस्थान द्वारा संचालित विकास के गति-विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केन्द्र में प्रशिक्षण और अनुसंधान के संबंध में संगोष्ठी	21-5-79 से 22-5-79 तक	25562.00

1	2	3	4	5	6
5.	प्रो० डी० टी० लाकडा-वाला उपाध्यक्ष	रोम बुखारेस्ट वियना मास्को	विकास के लिए विज्ञान और शिल्प-विज्ञान के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन	14-8-79 से 6-9-79 तक	19802.50
6.	श्री सी० के० मोदी उपाध्यक्ष के विशेष सहायक	बल्गारिया (सोफिया)	उपाध्यक्ष की सहायता के लिए	31-8-79 से 8-9-79 तक	129.40
7.	श्री जी० वी० के० राव सदस्य	रोम	कृषि सुधार और ग्रामीण विकास के संबंध में विश्व सम्मेलन	12-7-79 से 20-7-79 तक	16370.70
8.	,,	(1) मनीला	खाद्य और कृषि संगठन और अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान की एशियाई और प्रशांत क्षेत्रीय कृषि ऋण एसोसिएशन की बैठक	11-10-79 से 13-10-79 तक	11339.00
		(2) लास बोनोइस	,,	14-10-79 से 15-10-79 तक	
9.	श्री टी० आर० सतीश-चंद्रन सलाहकार	ड्रेसडन	विश्व ऊर्जा संसाधनों के सर्वेक्षण की परामर्शदात्री नामिका की बैठक	22-9-79 से 27-9-79 तक	11870.00
10.	श्री एस० वी० राव संयुक्त सलाहकार	मास्को	रूस के साथ 1981-85 के लिए दीर्घकालिक व्यापार योजना के लिए आरंभिक बातचीत	28-8-79 से 3-9-79 तक	112.95

MGIPRRND—1 PC/80—IV (D)—30-6-80—1000